

FORM M.P.T.C. - 7

(See Subsidiary Rule 69)

चालान क्रमांक

खजाना/उप खजाना/स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया में पैसा जमा करने का चालान

To be filled in by the Remitter
पैसा जमा करने वाले को लिखना चाहिएTo be filled in by the Department
Officer or the Treasury Officer
विभाग या खजाना अधिकारी को लिखना चाहिए

1	2	3	4	5	6	7
By whom tendered कौन लाया	Name of designation & address of person on whose behalf money is paid उसका नाम (ओहदा व पता) जिसकी ओर से पैसा जमा किया जा रहा है।	Full particulars of the remittance and or the authority (if any) किस बावत जमा किया जा रहा है उसका पूरा विवरण	Amount रकम	Head of Account लेखा शीर्ष	Accounts Officer by whom adjustable लेखा अधिकारी जिसने समायोजन किया	Order to the Bank बैंक को आदेश
Name नाम			Rs. रु.	P पै.		
Sig nature हस्ताक्षर	31/5/83- YMF-	21/11/83- 24/12/83- 25/1/84- योग			0217-शहरी विकास 60-अन्य शहरी विकास योजनाओं 800-अन्य प्राकृतिक 0171-मास्टर प्लान एवं नगरिय योजनाओं की नीति से प्राप्ति	

(In words) Rupees

To be used only in the case of remittance to Bank through Dept. Officer of Treasury Office
Received Payment (In words) Rupees

Treasurer

Accountant

Date

Treasury Officer/Agent